भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1565

उत्तर देने की तारीख : 13.02.2025

औद्योगिकीकरण में एमएसएमई का योगदान

1565. श्रीमती भारती पारधी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमएसएमई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में योगदान देकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएसएमई क्षेत्र अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करके मध्यम और बड़ी कंपनी के रूप में विकसित होने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2025 तक डिजिटल रूप से कुशल श्रमिकों की संख्या में नौ गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : उद्यम की संशोधित परिभाषा और उध्यम पंजीकरण पोर्टल को अपनाने के 4.5 वर्षों के भीतर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में 5.83 करोड़ से अधिक उद्यम पहले ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से, 1.21 करोड़ उद्यम विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों में संलग्न हैं। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 30.1% तथा विनिर्माण आउटपुट में 36% का योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र ने निर्यात में 45% का योगदान दिया था। देश में औद्योगिक विकास के लिए एक सामर्थ्यकारी, समावेशी तथा व्यवसाय अनुकूल परिवेश सृजित करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है जिसमें अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन, एसआरआई कोष, पीएम विश्वकर्मा तथा एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

(ग) से (छ) : एमसएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों, जिनमें अन्य के साथ-साथ वित्त, कौशल तथा प्रौद्योगिकी तक पहुंच शामिल है, का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एमएसएमई के पुनरुद्धार और उनके पुनर्निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे के लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत।

(ii) एमएसएमई क्षेत्र को अपने आकार में वृद्धि करने और वांछित विकास प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई के स्तर में उन्नयन के मामले में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार किया गया।

(iii) आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी समावेशन।

(iv) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए दिनांक 31.03.2023 तक 5 लाख करोड़ रु. की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर भारतीय स्टेट बैंक की 23.01.2023 की एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से 98.3% खाते एमएसई श्रेणियों में थे, को गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की श्रेणी में जाने से बचा लिए गए।

(v) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2020 को शुरू किए गए चैंपियंस पोर्टल के जरिए एमएसएमई की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।

(vi) पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत शामिल घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के जरिए मान्यता प्रदान किया जाना शामिल है। सफलतापूर्ण पंजीकरण के पश्चात लाभार्थी को आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर लाभार्थी स्कीम संबंधी अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे।

(vii) उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत और उन्नत उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उद्यमियों को उनके वैयक्तिक उद्यमिता कौशल को बढ़ाने तथा उनके व्यवसाय या उद्यम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की जा सकें।

(viii) इसके अतिरिक्त, उद्यम पंजीकरण पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवाओं, ई-श्रम पोर्टलों तथा स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ समेकित किया गया है।

(ix) इसके अतिरिक्त, टूल रूम और तकनीकी संस्थानों के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के साथ एमएसएमई की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में ज्ञात 18 टूल रूमों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना की है।

******